

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 11(9)नविवि / 2020

जयपुर, दिनांक

31 MAR 2022

आदेश

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू किये जा चुके हैं। मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के विनियम 9.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के निम्न प्रावधानों को संशोधित/पुनर्स्थापित/अतिरिक्त जोड़ा जाता है:-

क्र.स.	विनियम संख्या	संशोधित प्रावधान
1.	10.7 तालिका 4.1 का नोट	<p>“स्थानीय निकाय द्वारा किसी सड़क हेतु भवन रेखा निर्धारित की गयी है, तो तदानुसार अग्र सैटबैक रखा जा सकेगा।” के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-</p> <p>“समस्त स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय क्षेत्र में विद्यमान प्रत्येक सड़क का मार्गाधिकार एवं प्रत्येक सड़क पर स्थित विद्यमान निर्माणों को दृष्टिगत रखते हुये भवन रेखा का निर्धारण किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त चौडाई की सड़कों पर स्थित 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अग्र सैटबैक अनिवार्य नहीं होगा, 90 वर्गमीटर से अधिक 167 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर न्यूनतम अग्र सैटबैक 3.0 मीटर रखा जावेगा।”</p>
2.	5.3(2)(v)	<p>“एस-3 क्षेत्रों में यदि भूखण्ड पर विद्यमान निर्माण को पूर्णतया ध्वस्त किया जाकर इन विनियमों के तहत नया भवन प्रस्तावित किया जाता है, तो तालिका-1/तालिका-4 के अनुरूप न्यूनतम सैटबैक रखा जाना होगा। तथापि विद्यमान निर्माण पर अतिरिक्त निर्माण (यदि अनुज्ञय किया जाता है तो) किये जाने पर मानदण्डों के अनुरूप भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।” के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-</p>

प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है "एस-३ क्षेत्रों में यदि किसी सड़क के मार्गाधिकार में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है तो विद्यमान निर्माण को पूर्णतया ध्वस्त किया जाकर इन विनियमों के तहत नया भवन प्रस्तावित किया जाने पर प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क केन्द्र से तदानुसार भूमि समर्पण किये जाने के पश्चात् भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी अन्यथा विद्यमान भवन रेखा के अनुरूप निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।"

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाडी।
7. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के.बी.एन.आई.आर, भिवाडी।
8. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त
12. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
13. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

||  
उप नगर नियोजक